राजस्थान–सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ4 (ई)(1)(6) अलेसे–III/ 10536-56 दिनांक 08.09.2015

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशों द्वारा निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण उनके नाम क सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :–

क0सं0	आदेश संख्या	दिनांक	लिंक नम्बर	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय /विभाग	स्थानान्तरित कार्यालय/विभाग
1	50/2015-16	30/06/2015	9722	आनन्द हर्ष	संयुक्त आयुक्त, श्रम विभाग, बीकानेर - 15457	संयुक्त निदेशक, पेंशन एव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर - 908
2	50/2015-16	30/06/2015	9288	आदित्य अग्रवाल	जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, डूंगरपुर - 11792	सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, डूंगरपुर - 31675
3	50/2015-16	30/06/2015	4572	दीपक अग्रवाल	देवनारायण योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर - 3000395	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आईईसी), जयपुर - 19724
4	50/2015-16	30/06/2015	2595	जगदीशलाल मीणा	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), देवली, टोंक - 1440	उप कोषाधिकारी (स्वतंत्र), कोष एवं लेखा विभाग, देवली, टोंक - 14859
5	52/2015-16	30/06/2015	5207	सुधीन्द्र पाल सिंह	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर - 1097	अधिशाषी अभियंता सर्वे एवं अन्वे. लि. खण्ड प्रथम, आईजीएनपी, रावतसर, हनुमानगढ़ - 4000195
6	52/2015-16	30/06/2015	9191	नीरज तिवाड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़ - 7999	अधिशाषी अभियंता बीसलपुर खण्ड प्रथम, सीएडी एवं एडीपी विभाग, देवली, टोंक - 4000077

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित कनिष्ठ लेखाकारों को संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 15.09.2015 तक फैक्स अथवा विभागीय ई–मेल द्वारा विभाग को भिजवावें । नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले कनिष्ठ लेखाकारों के विरूद्व विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जावेगी ।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–एफ4(ई)(1)(6) अलेसे–III/ 10536-56 दिनांक 08-09-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।

2 संबंधित कोषाधिकारी...को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार का माह सितम्बर , 2015 का वेतन भुगतान का बिल नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण तक पारित नहीं करें ।

3 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..को प्रेषित कर निवेदन है कि स्थानान्तरण लेखाकर्मी को नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें अन्यथा स्थिति में अगस्त 2015 माह के वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा ।

4 उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

5 वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय ।

6 श्री ....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय..को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई–मेल पर इस विभाग को भिजवायें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जावेगी ।

7 रक्षित/निजी पत्रावली ।

(प्रदीप माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)